

२०१६

पत्रावली पेश हुई, बादीगण अधिवक्ता को खिन्नी  
मतेबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित  
नहीं। अनुपस्थित होने से बाद पत्र अदम हाजरी व  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फँसल सुभार होकर दफ्तर दायित हो।



उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा